16

प्रारुप क्र. 1
(देखिये नियम – 3)

(14/6024/29
15-10-29)

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र

1. समिति का नाम – पेंचव्हेली जनकल्याण एवं शिक्षा समिति
2. समिति का कार्यालय – मकान नंबर 66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार बैतुल (म.प्र.)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – संपूर्ण मध्यप्रदेश

4. **समिति के उददेश्य निम्नलिखित होगें :-**

1. राष्ट्रीय एकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और अंधुत्व की सदभावना की विकास करना । एवं प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओ को पचमढी एवं पताल कोट जैसे पर्यटन स्थलो पर पर्वत रोहण का प्रशिक्षण देकर सहासी बनाना ।
2. कार्यक्षेत्र के निवासियो कारीगरों ,मजदूरों ,कृषकों का समाजिक नैतिक ,अध्यात्मिक शैक्षिक,बौद्रिक एवं चरित्रिक विकास करना एवं उनमे आत्मनिर्भरता एवं स्वावम्बन की भावना जागृत करना ।
3. खादी ग्रामोघोग/खादी ग्रामोघोग बोर्ड/कमीशन ,समाज कल्याण विभाग,विकलांग कल्याण विभाग,पिछडा वर्ग कल्याण विभाग ,अल्प संख्यक कल्याण विभाग ,युवा कल्याण विभाग ,अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ,मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि विभागो द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के द्वारा समाज के लोगो को लभान्वित करना|,~~बहुराष्ट्रीय संस्थाओं एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता ऋण अनुदार के रुप में प्राप्त कर अर्जना समाज सेवा में व्यय करना~~ ।
4. ग्रामीण महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई कढाई एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र खोलना एवं प्रशिक्षण देना एवं स्वासहायता समूहो का गठन कर स्वरोजगार से जोडना ।
5. क्षेत्र की जनता के लिए रचनात्मक कार्यो का आयोजन करते हुए स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना /एवं चेरिटेबिल अस्पतालो की स्थापना ।
6. गांधी विचार धारा के अन्तर्गत साहित्य का प्रचार व प्रसार करना एवं कृषि सम्बन्धी खादों एवं दवाओं की निःशुल्क व्यवस्था करना/नशामुक्ति केन्द्र का संचालन करना ।
7. महिला शशक्तिकरण के माध्यम से महिला हिंसा का अंत करना एवं देश के विभिन्न भागों के युवा वर्ग के लोगो में सम्पर्क बढाने के विशेष प्रयत्न करना ।
8. महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराके उनका सर्वागीण विकास करना ।
9. आदिम जाति (आदिवासी क्षेत्रों) एवं पिछडी जाति के लोगों का उत्थान हेतु प्रयत्न करना एवं छुआ छूत अंधवश्विास आदि दुर्भावनाओं को समाज से बाहर करना ।
10. पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम चलाना । केन्द्र तथा राज्य शासन के अलग विभागो से समन्वय स्थापित कर उनके कार्यक्रमों को युवा मंडल के माध्यम से क्रियान्वित करना ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति लाभन्वित हो सके ।
11. समाज द्वारा उपेक्षित बुजुर्गो के लिए आवास की व्यवस्था ,ब्रद्ध आश्रम एवं प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना ।
12. शरीरिक व मानसिक रुप स विकालांग बच्चों की उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए स्कूल का संचालन करना ।
13. सभी आसक्त बच्चो ,विशेष रुप से आसक्त बालिकाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन एवं आसक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण देना ।
14. विस्तृत स्तर पर विशेष शिक्षा तथा पुर्नावास में अनुसंधान को प्रोत्साहन ।
15. ग्रीमण आदिवासी बाहूल्य क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न गतिविधिया संचालित करना ।
16. विभिन्न विदेशी विघालयों के एवं विश्व बैंक के सहायोग से पुर्नवास विज्ञान (शोध संस्थान व कार्यक्रमों) हेतु विघालय की स्थापना करना ।
17. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम । औपचारिक और अनौपचारिक सामूहिक शिक्षा के अर्थपूर्ण कार्यक्रम ।
18. स्वरोजगार एवं उघमिता विकास कार्यक्रम एवं तकनीकि शिक्षा के माध्यम से युवाओं को नई दिशा देना एवं युवा वर्ग में निजी रोजगार के लिए हुनर का विकास करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना ।

सचिव | संयुक्त सचिव | कोषाध्यक्ष | अध्यक्ष

समिति क प्रबंध विनियमो द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध शासक परिषद संचालकों, सभा या शासी –निकाय को सौपा गया है। जिनके नाम, पते तथा व्यवसाय का उल्लेख निम्नांकित है :–

क्र	नाम पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	सुनील /श्री समरसिंग उइके	अध्यक्ष	म.न.227 भीमसेन परासिया जिला छिन्दवाडा	बेरोजगार
2	रंजीता /श्री संतोष पाल	उपाध्यक्ष	म.न.66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार बैतुल	बेरोजगार
3	संतोष /श्री रामरतन पाल	सचिव	म.न.66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार बैतुल	बेरोजगार
4	पुष्पलता /श्री पंकज साबले	सह सचिव	जे.एम.51,2ए सेक्टर साकेत नगर लिटिल फ्लावर स्कूल के पास भोपाल	बेरोजगार
5	पंकज /श्री साहेबराव साबले	कोषाध्यक्ष	जे.एम.51,2ए सेक्टर साकेत नगर लिटिल फ्लावर स्कूल के पास भोपाल	बेरोजगार
6	राजेश /श्री सबई डेहरिया	सदस्य	म.न.171 वार्ड न. 19 परासिया छिन्दवाडा	बेरोजगार
7	रीता / श्री सुनील उइके	सदस्य	म.न.227 भीमसेन परासिया जिला छिन्दवाडा	बेरोजगार

पंजीयन कार्यालय ज्ञापन पत्र में दर्शित यह तथ्य पदाधिकारियों की सूची प्रमाणित नहीं है।

6. समिति के इस ज्ञापन – पत्र के साथ समिति का विनियमो की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप – धारा (1) के अधीन अपेक्षित है संलग्न है।

7. हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे है, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन – पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है। तथा ज्ञापन–पत्र पर निम्नांकित साक्षियो की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किये है।

क्र	नाम, पिता/पति का नाम एवं पूर्ण पता सहित	हस्ताक्षर
1	सुनील/श्री समरसिंग उइके म.न.227 भीमसेन परासिया जिला छिन्दवाडा	Sunil
2	रंजीता/श्री संतोष पाल म.न.66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार बैतुल	RPal
3	संतोष/श्री रामरतन पाल म.न.66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार बैतुल	[signature]
4	पुष्पलता/श्री पंकज साबले जे.एम.51,2ए सेक्टर साकेत नगर लिटिल फ्लावर स्कूल के पास भोपाल	[signature]
5	पंकज/श्री साहेबराव साबले जे.एम.51,2ए सेक्टर साकेत नगर लिटिल फ्लावर स्कूल के पास भोपाल	[signature]
6	राजेश/श्री सबई डेहरिया म.न.171 वार्ड न. 19 परासिया छिन्दवाडा	[signature]
7	रीता/श्री सुनील उइके म.न.227 भीमसेन परासिया जिला छिन्दवाडा	रीता

जो आवश्यक न हो उसे काटिये

प्रमाणित प्रति
शुल्क रूपये 940 चालान नं./रसीद नं. 3/17/3BV03/56
दिनांक 13-10-09 द्वारा पटाया गया है। यह मूल
दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है।
जारी होने की दिनांक 14-10-09

साक्षी

हस्ताक्षर [signature]
नाम 168 महिमार्ग पालोनी, बेरसिया रोड, भोपाल

सहायक के हस्ताक्षर

सचिव | सह सचिव | कोषाध्यक्ष | अध्यक्ष

14/10/09
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 07AA 798709

ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

ज्ञापन / विधान की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर

संस्था का नाम ....

पंजी. क्र. 20929 दिनांक 13.10.09

सहायक के हस्ताक्षर

14/10/09

असि. रजिस्ट्रार

फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल

सचिव सह सचिव कोषाध्यक्ष अध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये | FIVE RUPEES

रु.5 | Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 1121 07AA 798710

ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES ★ BHOPAL ★ भोपाल

ज्ञापन / विधान की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर

संस्था का नाम पंचवटी जन कल्याण एवं शिक्षा समिति बैतूल

पंजी. क्र. 20927 दिनांक 13/10/09

सहायक के हस्ताक्षर

14/10/09

असि. रजिस्ट्रार

फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल

14/10/09

सचिव | सह सचिव | कोषाध्यक्ष | अध्यक्ष

(1 6) 6024/29
15/3-09

नियमावली

1. समिति का नाम – पेंचव्हेली जनकल्याण एवं शिक्षा समिति
2. समिति का कार्यालय – मकान नंबर 66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार बैतुल (म.प्र.)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – संपूर्ण मध्यप्रदेश

4. **समिति के उददेश्य निम्नलिखित होगें :-**

1. राष्ट्रीय एंकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और अंधुत्व की सदभावना की विकास करना । एवं प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओ को पचमढी एवं पताल कोट जैसे पर्यटन स्थलो पर पर्वत रोहण का प्रशिक्षण देकर सहासी बनाना ।
2. कार्यक्षेत्र के निवासियो कारीगरों ,मजदूरों ,कृषको का समाजिक नैतिक ,अध्यात्मिक शैक्षिक,बौद्विक एवं चरित्रिक विकास करना एवं उनमे आत्मनिर्भरता एवं स्वावम्बन की भावना जागृत करना ।
3. खादी ग्रामोघोग/खादी ग्रामोघोग बोर्ड/कमीशन ,समाज कल्याण विभाग,विकलांग कल्याण विभाग,पिछडा वर्ग कल्याण विभाग ,अल्प संख्यक कल्याण विभाग ,युवा कल्याण विभाग ,अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि विभागो द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के द्वारा समाज के लोगों को लभान्वित करना |,बहुराष्ट्रीय संस्थाओं एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता ऋण अनुदार के रुप मे प्राप्त कर अजजा समाज सेवा में व्यय करना ।
4. ग्रामीण महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई कढाई एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र खोलना एवं प्रशिक्षण देना एवं स्वासहायता समूहो का गठन कर स्वरोजगार से जोडना ।
5. क्षेत्र की जनता के लिए रचनात्मक कार्यो का आयोजन करते हुए स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना /एवं चेरिटेबिल अस्पतालो की स्थापना ।
6. गांधी विचार धारा के अन्तर्गत साहित्य का प्रचार व प्रसार करना एवं कृषि सम्बन्धी खादों एवं दवाओं की निःशुल्क व्यवस्था करना/नशामुक्ति केन्द्र का संचालन करना ।
7. महिला शशक्तिकरण के माध्यम से महिला हिंसा का अंत करना एवं देश के विभिन्न भागों के युवा वर्ग के लोगो में सम्पर्क बढाने के विशेष प्रयत्न करना ।
8. महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराके उनका सर्वागीण विकास करना ।
9. आदिम जाति (आदिवासी क्षेत्रों) एवं पिछडी जाति के लोगों का उत्थान हेतु प्रयत्न करना एवं छुआ छूत अंधवश्विास आदि दुर्भावनाओं को समाज से बाहर करना ।
10. पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम चलाना । केन्द्र तथा राज्य शासन के अलग विभागो से समन्वय स्थापित कर उनके कार्यक्रमों को युवा मंडल के माध्यम से क्रियान्वित करना ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति लाभन्वित हो सके ।
11. समाज द्वारा उपेक्षित बुजुर्गो के लिए आवास की व्यवस्था ,व्रद्वा आश्रम एवं प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना ।
12. शरीरिक व मानसिक रुप स विकालांग बच्चों की उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए स्कूल का संचालन करना ।
13. सभी आसक्त बच्चो ,विशेष रुप से आसक्त बालिकाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन एवं आसक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण देना ।
14. विस्तृत स्तर पर विशेष शिक्षा तथा पुर्नावास में अनुसंधान को प्रोत्साहन ।
15. ग्रीमण आदिवासी बाहूल्य क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न गतिविधिया संचालित करना ।
16. विभिन्न विदेशी विघालयो के एवं विश्व बैंक के सहायोग से पुर्नावास विज्ञान (शोध संस्थान व कार्यक्रमों) हेतु विघालय की स्थापना करना ।
17. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम । औपचारिक और अनौपचारिक सामूहिक शिक्षा के अर्थपूर्ण कार्यक्रम ।
18. स्वरोजगार एवं उघमिता विकास कार्यक्रम एवं तकनीकि शिक्षा के माध्यम से युवाओं को नई दिशा देना एवं युवा वर्ग मे निजी रोजगार के लिए हुनर का विकास करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना ।

सचिव | सह सचिव | कोषाध्यक्ष | अध्यक्ष

ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES
BHOPAL
भोपाल

5. सदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें ।

(अ) संरक्षण सदस्य :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप में रुपये 1000 या अधिक एक मुश्त या एक साल मे बाहर किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

ब .आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था के दान के रुप मे रुपये 500 या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 500 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

स.साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति रुपये 10 माह रुपये 120 प्रतिवर्ष संस्था को चंदा के रुप में देगा वह साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं दे गा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था कै लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दें की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

द.सम्मानीय सदस्य :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है परंतु उनको मत देने का अधिकार न होगा ।

6. सदस्यता की प्रप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रुप में आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदक प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार या आमान्य करने का अधिकार होगा ।

7. सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्न लिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो । 2. भारतीय नागरिक हो ।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा को हो 4. सदचरित्र हो तथा मधपान न करता हो ।

8. सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नालिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

1. मृत्यु हो जाने पर 2. पागल हो जाने पर
3. संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 मे बताये अनुसार जमा न करने पर
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर
5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रुप में देने होगी ।

9. संस्था कार्यलय मे सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगें :-

1. प्रत्येक सदस्य का नाम , पता तथा व्यवसाय
2. वह तारीख जिसको सदस्यों का प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.1
3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

10. अ. साधारण सभा :- साधारण सभा मे निमय 5 में दर्शाय श्रेणी के सदस्या समावेशित होगे । साधारण सभा की बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/3 सदस्यों को होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियो का विधिवत चुनाव कराया जायेगा ।

ब. प्रबन्धकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से 7 दि न पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा । बैठक में कोरम 1 / 2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुन की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कई शर्त होगी ।

सचिव संयुक्तसचिव कोषाध्यक्ष अध्यक्ष

स . विशेष :- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यो की संख्या) 2 / 3 सदस्यो द्वारा लिखित रुप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक की संकल्प पारित हो जाने की दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध मे आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :- क. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिदेन स्वीकृत करना ।
ख . सस्था की स्थायी निधि व संम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना । ग . आगामी वर्ष के लिए लेखा परिक्षको की नियुक्ति करना ।
घ . अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंध कारिणी द्वारा प्रस्तुत हों । च. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओ के आय व्यय पत्रको की स्वीकृति करना । छ. बजट का अनुमोदन करना ।

12. प्रबंधकारिणी का गठन :- ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेगे । निमय 5 (अ.ब.स.) में दर्शाये गये सदस्यो जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक मे बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियॉ तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा ।
1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. सचिव 4. कोषाध्यक्ष 5. संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक की नई प्रबंध कारिणी समिति का निमार्ण नियमानुसार या अन्य कारणो से नही हो जाता करती रहेगी । किंतु उक्त अवधि छः माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना होगा ।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :- अ. जिन उददेश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
ब. पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परिक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।
स. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थओ के कर्मचारियो के वेतन तथा भत्तो आदि का भुगतान करना संस्था की चल अचल संम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।
द. कर्मचारियो ,शिक्षको एवं प्रशिक्षको आदि की नियुक्ति करना ।
इ. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय पर सौपे जाये ।
च. संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।
छ . संस्था द्वारा कोई भी स्थाई संम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा या अन्यथा या स्थानांतरित नही की जावेगी ।
ज . विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान मे संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा के विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा मे कुल सदस्यों 2 / 2 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

15. अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा । तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठको का आयोजन करवायेगा । अ ध्यक्ष का मत विचारार्थ विषय मे निर्णयात्मक होगा ।

16. अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

सचिव संयुक्त सचिव कोषाध्यक्ष अध्यक्ष

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार :- 1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना । 2 . समिति का आय व्यय का लेखा परिक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना 3. समिति के बारे मे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना । उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उनकी सूचना प्रबंध कारिणी को देना । 4. सचिव को किसी कार्य के लिए समय समय मे रुपये 1000 करने का अधिकार होगा ।

18. कोषाध्यक्ष के अधिकार :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकति व्यय करना ।

19. संयुक्त सचिव के अधिकार :- सचिव की अनुपस्थिति में सयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

20. बैक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैक या पोस्ट ऑफिस मे रहेगी । धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 500 होगें ।

21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी । तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी ।

22. संशोधन :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक मे कुल सदस्यो के 2/ 3 मतो से पारित होगा । यदि आवश्यक हूआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकत विधान मे संशोधन करने के अधिकार पंजीयंक फर्म्स एवं संस्थायें को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।

23. विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3 / 5 मत से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात संस्था की चल अचल संम्पत्ति किसी समान उदेदश्य वाली संस्था को सौप दी जावेगी ।

24. संम्पत्ति :- संस्था की समस्त चल अचल संम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल संम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फार्मस एवं संस्थाऐ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या आन्तरिंत नही की जा सकेगी ।

25. बैक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैक या पोस्ट ऑफिस मे खोला जावेगा एवं समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

26. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से अवश्यक होने पर पंजीयक फर्मस एवं संस्थाये को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

27. विवाद :- संस्था मे किसी का विवाद उत्पन होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर से विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगा । रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओ के विवाद अथवा प्रबंध के विवाद उत्पन होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार हो होगा ।

सचिव | संयुक्त सचिव | कोषाध्यक्ष | अध्यक्ष

प्रमाणित प्रति
शुल्क रूपये 240 चालान नं. / रसीद नं. 517530025/56
दिनांक 13-10-09 द्वारा पटाया गया है। यह मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है ।
जारी होने की दिनांक 14-10-09

सहायक के हस्ताक्षर

14/10/09
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

07AA 798705

ASST. REGISTRAR ... SOCIETIES ... BHOPAL भोपाल

ज्ञापन / विधान की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर

संस्था का नाम पंचवटी जन कल्याण एवं शिक्षा समिति बैतूल

पंजी. क्र. 20929 दिनांक 13/1/09

सहायक के हस्ताक्षर

14/10/09

असि. रजिस्ट्रार

फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल

14/10/09

11 21

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 1241 07AA 798706

ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

ज्ञापन / विधान की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर
संस्था का नाम पंचदेवी जन कल्याण एवं शिक्षा समिति बैतूल
पंजी. क्र. 20927 दिनांक 13.10.09

सहायक के हस्ताक्षर

14/10/09

असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल

14/10/09

कार्यालय, असि0 रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग
डी ब्लाक पुराना सचिवालय,भोपाल

क्रमांक / 324 / 1733/10 भोपाल,दिनांक 8/10/2010

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव,
पेंचव्हेली जनकल्याण एवं शिक्षा समिति
म0नं0 66 मोती वार्ड गोठी कालोनी
चक्कर रोड कोठी बाजार जिला बैतुल

विषय:- म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत वर्ष 2010 की प्रबंधकारिणी की सूची की के संबंध मे।
संदर्भ:- आपका पत्र प्राप्ति दिनांक 16.7.10 एवं 23.8.10

—00—

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपके चाहेनुसार उक्त अधिनियम की धारा 27 की प्रस्तुत जानकारी वर्ष 2010 की प्रबंधकारिणी की सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रेषित है।
संलग्न उपरोक्तानुसार

असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं,
भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

प्रारूप–सात

(नियम 11 देखिये)

रजिस्ट्रार, फार्म एवं सोसायटी को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 के आधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देशन पत्र (प्रोफार्मा)

संस्था का नाम एवं पता – पेंचव्हेली जन कल्याण एवं शिक्षा समिति
– 66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार, बैतूल

2. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक एवं दिनांक – 01/06/01/20929/2009 दिनांक 13/10/2009

3. उपस्थित कुल सदस्यो की संख्या, उनके नाम तथा पते संलग्न कर। – विवरण संलग्न है

4. रजिस्ट्रीकरण नियमों तथा विनियमों के अनुसार शासी निकाय की अवधि – तीन वर्ष

5. वर्तमान निर्वाचन की तारीख और उपस्थित सदस्य संख्या एवं गणपूर्ति क्या थी। – 01/01/2010

6. विद्यमान पदाधिकारियों ने पूर्व पदाधिकारियों से किस तारीख को कार्यभार ग्रहण किया, एक सूची, उनके नाम, पते तथा उपजीविकाएं उनके हस्ताक्षर संलग्न करें। – 01/01/2010(उपजीविकाए संलग्न)

7. पूर्व निर्वाचन की तारीख – प्रथम निर्वाचन

8. सोसायटी के नियमों तथा विनियम के अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन का मास तथा तारीख – विधान मे उल्लेख नही।

9. अंतिम वार्षिक सूची कब प्रस्तुत की गई थी, यदि प्रस्तुत नहीं की गई हो तो उसका क्या कारण है। –

10. इस वार्षिक साधारण सम्मेलन के कार्यवृत, तारीख सहित संलग्न करें। – 01/01/2010

11. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 की धारा 27 के अधीन सूची की वार्षिक फीस रूपये ..... रसीद/चालान क्र. ..... दिनांक ..../..../..... द्वारा जमा कर दी गई है चालान की मूल प्रति संलग्न है। धारा 27–28 शुल्क।

मैं **श्री सुनील उईके** पिता/पति **श्री समर सिंह उईके** आयु 35 वर्ष प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है और यह जानता हूँ कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन दण्डनीय होगा।

8/10/10

(आलोक नागर)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

हस्ताक्षर
सचिव
पेंचव्हेली जनकल्याण एवं शिक्षा समिति
मोती वार्ड, गोठी कॉलोनी, बैतूल

वर्तमान मे नियुक्त प्रबंधकारिणी के सदस्यों की सूची

क्र	नाम सदस्य	पद जिस पर नियुक्त	व्यवसाय	पता	पद पर किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्यरत् रहें	हस्ताक्षर
01	श्री हरी वर्मा पिता श्री नेवालाल वर्मा	अध्यक्ष	समाजसेवी	06/01, महात्मा गाधी,–8, चांदामेटा, बुटरिया, तह. परासिया, जि. छिंदवाड़ा	01/01/2010 से 31/12/2012	[signature]
02	श्रीमती रीता पति श्री सुनील कुमार	उपाध्यक्ष	समाजसेवी	226, भीमसेन, परासिया, जिला छिंदवाड़ा	तदैव	[signature]
03	श्री सुनील उईके पिता श्री रामसिंह उईके	सचिव	समाजसेवी	227, भीमसेन, परासिया, जिला छिंदवाड़ा	तदैव	[signature]
04	श्री अरविंदर सिंह खंडूजा पिता श्री सुरजीत सिंह	कोषाध्यक्ष	समाजसेवी	10, महाराष्ट्र बैंक के पीछे, परासिया, जिला छिंदवाड़ा	तदैव	[signature]
05	श्री राजेश डेहरिया पिता श्री सबई डेहरिया	संयुक्त सचिव	समाजसेवी	171, वार्ड–19, परासिया, जिला छिंदवाड़ा	तदैव	[signature]
06	श्रीमती शिवकुमारी पति श्री हरी	सदस्य	समाजसेवी	06/01, महात्मा गाधी,–8, चांदामेटा, बुटरिया, तह. परासिया, जि. छिंदवाड़ा	तदैव	[signature]
07	श्री सुरजीत सिंह खंडूजा पिता श्री दीवान सिंह	सदस्य	समाजसेवी	10, महाराष्ट्र बैंक के पीछे, परासिया, जिला छिंदवाड़ा	तदैव	[signature]

T.C

[signature] 8/12/10

(आलोक नागर)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 19AA 420143

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL-NARMDAPURAM DIVISION भोपाल-नर्मदापुरम संभाग

संस्था पंचवटी-जनकल्याण-एवं शिक्षा समिति जि-बैतूल
पं.क्र. 20929 दि. 13.10.09 को वर्ष 2010 की [illegible]
पूर्ति हेतु उपयोग किया गया

[illegible] 8/10/10

(आलोक नागर)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

कार्यालय असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाए, भोपाल नर्मदापुरम संभाग
डी ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल

कमाक/सूचनाकाअधि/555/3983/11 भोपाल, दिनांक 3/10/11

प्रति,

श्री सुनील उइके
66 मोती वार्ड गोठी कालोनी चक्कर रोड
कोठी बाजार तह0 व जिला बैतुल

विषयः— सूचना के अधिकार के तहत जानकारी के सबंध में
संदर्भः— आपका आवेदन पत्र प्राप्त दिनांक 30.9.11

———0———

उपरोक्त संदर्भित विषय में आपके द्वारा पेंचव्हेली जनकल्याण एवं शिक्षा समिति बैतुल पं0क0 20929 दिनांक 13.10.2009 के संबंध में चाहेनुसार जानकारी जो 07 पृष्ठ की है, संलग्न प्रेषित है।
संलग्नः— उपरोक्तानुसार

अपीलीय अधिकारी का नामः— सुश्री शशि सिंह
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार,
फर्म्स एवं संस्थाए डी ब्लाक
पुराना सचिवालय भोपाल
दूरभाष क्रमांकः— 2739393

(संजय चिवण्डे)
लोक सूचना अधिकारी
एवं निरीक्षक फर्म्स एव संस्थाए,
भोपाल नर्मदापुरम संभाग

कार्यालय, असि0 रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग
डी ब्लाक पुराना सचिवालय,भोपाल

कमांक/ 3946/11 भोपाल,दिनांक 30/9/2011

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,
पेचटहेलो जनकल्याण एवं शिक्षा समिति
66 मोती वार्ड गांधी कॉलोनी कोठी बाजार बैतूल

विषयः- विधान में संशोधन के संबंध मे। पंजीयन कमांक 20929 दिनांक 13/11/09

संदर्भः- आपका प्रस्ताव प्राप्ति दिनांक

-00-

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का अवलोकन करे। आपके चाहेनुसार विधान में संशोधन प्रस्ताव को आज दिनांक 29/9/11 को रजिस्ट्रीकृत किया जाता हैं।

(हस्ताक्षर)

असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं,
भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

20929
13/10/09
29/9/11

प्रारुप–एक
देखिये नियम 3
समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन–पत्र(संशोधित)

1. समिति का नाम :– **पेंचव्हेली जनकल्याण एवं शिक्षा समिति** होगा।

2. समिति का कार्यालय :– **द्वारा सुनील उईके, म.न. 227, भीमसेन, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा(मध्यप्रदेश)** में स्थित होगा।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– **सम्पूर्ण भारतवर्ष** होगा।

4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

1. राष्ट्रीय एकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय शांति ओर अंधुत्व की सदभावना का विकास करना एवं प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं को पचमढ़ी व पाताल कोट जैसी पर्यटन स्थलों पर पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देकर सहासी बनाना।
2. कार्यक्षेत्र के निवासियों, कारीगरों, मजदूरों, कृषकों का सामाजिक, नैतिक, अध्यात्मिक, शैक्षणिक, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास करना व उनमें आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।
3. खादी ग्रामोद्योग/खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,/कमीशन, समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि विभागों, द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के द्वारा समाज के लोगों को लाभांवित करना।
4. ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई कढ़ाई एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र खोलना व प्रशिक्षण देना एवं स्वसहायता समूह का गठन कर स्वरोजगार से जोड़ना।
5. क्षेत्र की जनता के लिए रचनात्मक कार्यो का आयोजन करते हुए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियांवयन करना एवं चैरिटेबिल अस्पतालों की स्थापना करना।
6. गांधी विचार धारा के अंतर्गत साहित्य का प्रचार व प्रसार करना व कृषि संबंधी खादों एवं दवाओं की निःशुल्क व्यवस्था करना/नशामुक्ति केन्द्र का संचालन करना।
7. महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिला हिंसा का अंत करना एवं देश के विभिन्न भागों के युवा वर्ग के लोगों में सम्पर्क बढ़ाने के विशेष प्रयत्न करना।
8. महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराके उनका सर्वांगीण विकास करना।
9. आदिम जाति(आदिवासी क्षेत्रों) एवं पिछड़ी जाति के लोगों का उत्थान हेतु प्रयत्न करना एवं छुआ छूत अंधविश्वास आदि दुर्भावनाओं को समाज से बाहर करना।
10. पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम चलाना। केन्द्र तथा राज्य शासन के अलग विभागों से समन्वय स्थापित कर उनके कार्यक्रमों को युवा मंडल के माध्यम से क्रियांवित करना ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति लाभन्वित हो सके।
11. समाज द्वारा उपेक्षित बुजुर्गो के लिए आवास की व्यवस्था, वृद्धा आश्रम एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
12. शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए स्कूल का संचालन करना।
13. सभी आसक्त बच्चों, विशेष रूप से आसक्त बालिकाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन एवं आसक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण देना।
14. विस्तृत स्तर पर विशेष शिक्षा तथा पुर्नवास में अनुसंधान को प्रोत्साहन।
15. ग्रामीण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करना।
16. विभिन्न विदेशी विद्यालयों के एवं विश्व बैंक के सहयोग से पुर्नवास विज्ञान(शोध संस्थान व कार्यक्रमों) हेतु विद्यालय की स्थापना करना।
17. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। औपचारिक और अनौपचारिक सामूहिक शिक्षा के अर्थपूर्ण कार्यक्रम।
18. स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को नई दिशा देना एवं युवा वर्ग में निजी रोजगार के लिए हुनर का विकास करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | संयुक्त सचिव

असि. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ASST. REGISTRAR OF FIRMS BHOPAL भोपाल

लोक सूचना अधिकारी एवं निरीक्षक फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल नर्मदापुरम् संभाग

20924
13/10/09
241911

4. समिति के प्रबंध विनिमयों का समिति कार्यो का प्रबंध शासक परिषद्, संचालकों सभा या शासी निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है:–

क्र	नाम एवं पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
01	श्री सुनील उइके पिता श्री समरसिंह उइके	अध्यक्ष	227, भीमसेन परासिया, जिला छिंदवाड़ा	बैरोजगार
02	श्रीमती रंजीता पाल पति श्री संतोष पाल	उपाध्यक्ष	66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार, बैतूल	बैरोजगार
03	श्री संतोष पाल पिता श्री रामरतन पाल	सचिव	66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार, बैतूल	बैरोजगार
04	श्री पंकज साबले पिता श्री साहेबराव साबले	कोषाध्यक्ष	जे.एम.–51/2, सेक्टर–ए, लिटिल फ्लावर स्कूल के पास, साकेत नगर, भोपाल	बैरोजगार
05	श्रीमती पुष्पलता साबले पति श्री पंकज साबले	संयुक्त सचिव	जे.एम.–51/2, सेक्टर–ए, लिटिल फ्लावर स्कूल के पास, साकेत नगर, भोपाल	बैरोजगार
06	श्री राजेश डेहरिया पिता श्री सबई डेहरिया	सदस्य	171, वार्ड–19, परासिया, जिला छिंदवाड़ा	बैरोजगार
07	श्रीमती रीता उइके पति श्री सुनील उइके	सदस्य	227, भीमसेन परासिया, जिला छिंदवाड़ा	बैरोजगार

5. समिति के इस ज्ञापन–पत्र के साथ समिति के विनिमयों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न हैं।

हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे है, समिति का निर्माण उपरोक्त, ज्ञापन–पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन–पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्र.	नाम	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
01	श्री सुनील उइके पिता श्री समरसिंह उइके	227, भीमसेन परासिया, जिला छिंदवाड़ा	अधोहस्ताक्षर
02	श्रीमती रंजीता पाल पति श्री संतोष पाल	66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार, बैतूल	अधोहस्ताक्षर
03	श्री संतोष पाल पिता श्री रामरतन पाल	66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार, बैतूल	अधोहस्ताक्षर
04	श्री पंकज साबले पिता श्री साहेबराव साबले	जे.एम.–51/2, सेक्टर–ए, लिटिल फ्लावर स्कूल के पास, साकेत नगर, भोपाल	अधोहस्ताक्षर
05	श्रीमती पुष्पलता साबले पति श्री पंकज साबले	जे.एम.–51/2, सेक्टर–ए, लिटिल फ्लावर स्कूल के पास, साकेत नगर, भोपाल	अधोहस्ताक्षर
06	श्री राजेश डेहरिया पिता श्री सबई डेहरिया	171, वार्ड–19, परासिया, जिला छिंदवाड़ा	अधोहस्ताक्षर
07	श्रीमती रीता उइके पति श्री सुनील उइके	227, भीमसेन परासिया, जिला छिंदवाड़ा	अधोहस्ताक्षर

साक्षी हस्ताक्षर – अधोहस्ताक्षर

नाम – सुशील प्रजापति

पता – 168, ग्रीनपार्क कालोनी,

बैरसिया रोड, भोपाल(म.प्र.)

सूचना के अधिकार अंतर्गत छाया प्रति
लोक सूचना अधिकारी एवं निरीक्षक
फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल
नर्मदापुरम् संभाग

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष संयुक्त सचिव

20929
13/10/09
27/9/11

नियमावली संशोधित

1. समिति का नाम :– **पेंचव्हेली जनकल्याण एवं शिक्षा समिति** होगा।
2. समिति का कार्यालय :– **द्वारा सुनील उईके, म.न. 227, भीमसेन, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा(मध्यप्रदेश)** में स्थित होगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– **सम्पूर्ण भारतवर्ष** होगा।
4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे –
   1. राष्ट्रीय एकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय शांति ओर अंधुत्व की सदभावना का विकास करना एवं प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं को पचमढ़ी व पाताल कोट जैसी पर्यटन स्थलों पर पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देकर सहासी बनाना।
   2. कार्यक्षेत्र के निवासियों, कारीगरों, मजदूरों, कृषकों का सामाजिक, नैतिक, अध्यात्मिक, शैक्षणिक, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास करना व उनमें आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।
   3. खादी ग्रामोद्योग/खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,/कमीशन, समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि विभागों, द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के द्वारा समाज के लोगों को लाभांवित करना।
   4. ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई कढ़ाई एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र खोलना व प्रशिक्षण देना एवं स्वसहायता समूह का गठन कर स्वरोजगार से जोड़ना।
   5. क्षेत्र की जनता के लिए रचनात्मक कार्यो का आयोजन करते हुए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियांवयन करना एवं चैरिटेबिल अस्पतालों की स्थापना करना।
   6. गांधी विचार धारा के अंतर्गत साहित्य का प्रचार व प्रसार करना व कृषि संबंधी खादों एवं दवाओं की निःशुल्क व्यवस्था करना/नशामुक्ति केन्द्र का संचालन करना।
   7. महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिला हिंसा का अंत करना एवं देश के विभिन्न भागों के युवा वर्ग के लोगों में सम्पर्क बढ़ाने के विशेष प्रयत्न करना।
   8. महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराके उनका सर्वागीण विकास करना।
   9. आदिम जाति(आदिवासी क्षेत्रों) एवं पिछड़ी जाति के लोगों का उत्थान हेतु प्रयत्न करना एवं छुआ छूत अंधविश्वास आदि दुर्भावनाओं को समाज से बाहर करना।
   10. पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम चलाना। केन्द्र तथा राज्य शासन के अलग विभागों से समन्वय स्थापित कर उनके कार्यक्रमों को युवा मंडल के माध्यम से क्रियांवित करना ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति लाभन्वित हो सके।
   11. समाज द्वारा उपेक्षित बुजुर्गो के लिए आवास की व्यवस्था, वृद्धा आश्रम एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
   12. शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए स्कूल का संचालन करना।
   13. सभी आसक्त बच्चों, विशेष रूप से आसक्त बालिकाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन एवं आसक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण देना।
   14. विस्तृत स्तर पर विशेष शिक्षा तथा पुर्नवास में अनुसंधान को प्रोत्साहन।
   15. ग्रामीण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करना।
   16. विभिन्न विदेशी विद्यालयों के एवं विश्व बैंक के सहयोग से पुर्नवास विज्ञान(शोध संस्थान व कार्यक्रमों) हेतु विद्यालय की स्थापना करना।
   17. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। औपचारिक और अनौपचारिक सामूहिक शिक्षा के अर्थपूर्ण कार्यक्रम।
   18. स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को नई दिशा देना एवं युवा वर्ग में निजी रोजगार के लिए हुनर का विकास करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | संयुक्त सचिव

सत्य प्रतिलिपि ... लोक सूचना अधिकारी एवं निरीक्षक ... एवं संस्थाएं, भोपाल नर्मदापुरम् संभाग

असि. रजिस्ट्रार ... ASST. REGISTRAR ... BHOPAL भोपाल

20924
13/11/09
29/9/14

6. सदस्यता :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगे।

अ). संरक्षक सदस्य– संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप मे 1000/– रुपये या अधिक एकमुश्त या एक साल के अन्दर बारह किश्तो मे देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

ब). आजीवन सदस्य– जो व्यक्ति संस्था को दान के रुप मे रुपये 500/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 500/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

स). साधारण सदस्य– जो व्यक्ति रुपये 10/– माह रुपये 120/– प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रुप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणो के छः माह तक देय चन्दा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

द). सम्मानीय सदस्य– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझें, सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

असि. रजिस्ट्रार ऑफ ... ASST. REGISTRAR ... BHOPAL भोपाल

6. सदस्यता की प्राप्ति :– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबन्धकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार प्रबंधकारिणी को होगा।

7. सदस्यता की योग्यताऍं :–संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है।

1). आयु 18 वर्ष से कम न हो।

2). भारतीय नागरिक हो।

3). समिति के नियमो को पालन करने की प्रतिज्ञा की हो।

4). सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. सदस्यता की समाप्ति :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति मे समाप्त हो जावेगी:–

1). मृत्यु हो जाने पर।

2). पागल हो जाने पर।

3). संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।

4). त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।

5). चरित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप से देना होगी।

सूचना के अधिकार अंतर्गत छाया प्रति
लोक सूचना अधिकारी
एवं निरीक्षक
फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल
नर्मदापुरम् संभाग

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | संयुक्त सचिव

9. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे :–**
   1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।
   2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद क्र.।
   3. वह तारीख जिसमे सदस्या समाप्त हुई हो।

10. **अ. साधारण सभा–** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एकबार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर 15 दिवस पूर्व सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी बैठक का कोरम 3/3 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थागित कर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन निश्चित समय में नही किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में कराकर उसमें पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

ब. प्रबंधकारिणी सभा– प्रंबधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी को प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/3 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थागित कर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

स. विशेष– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने संकल्प की एक प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण एवं प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) संस्था की स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना। (घ) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं को आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रवंधकारिणी का गठन :–** ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ. ब. स.) मे दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा :–

1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. सचिव 4. कोषाध्यक्ष 5. संयुक्त सचिव एवं सदस्य–2

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष संयुक्त सचिव

सूचना के अधिकार अंतर्गत छाया प्रति
लोक सूचना अधिकारी एवं निरीक्षक
फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल
नर्मदापुरम् संभाग

20924
13/10/09
26/9/11

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल** :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। समिति का यथेष्ट कारण हे पर उस समय तक जब तक कि नयी प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नही जाता कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा करना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य** :–

अ). जिन उद्देश्यो के प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हे व्यवस्था करना।

ब). पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण स की बैठक में प्रस्तुत करना।

स). समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों आदि का भुगतान कर संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

द). कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

इ). अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।

च). संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

छ). संस्था द्वारा कोई भी स्थायी सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अरि या अन्तरित नही की जायगी।

ज). विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/2 मत सें संशो पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करे तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचार विषयों पर निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की सम बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेंगा।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार** :–

1). साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त प्रस्तुत करना।

2). समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

3). समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरिक्षण करना व अनियमितता पाये र पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

4). सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 1000/– खर्च करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | संयुक्त सचिव

असि. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं संस्थाएं ASST. REGISTRAR OF ... BHOPAL भोपाल
... के अधिकार
लोक सूचना अधिकारी
एवं निरीक्षक
फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल

18. **कोषाध्यक्ष के अधिकार :–** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृ व्यय करना।

19. **संयुक्त सचिव के अधिकार :–** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

20. **बैंक खाता :–** संस्था की समस्त निधि किसी बैंक या पोस्ट आफिस में रहेंगी। धन का अहारण अध्यक्ष या सचि तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिक रूपये 500/– रहेंगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :–** अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा हो के दिनांक सें 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी, तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

22. **संशोधन :–** संस्था के विधान साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

23. **विघटन :–** संस्था विघटन साधारण सभा की बैठक मे कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौप दी जावेगी।

24. **सम्पत्ति :–** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल स्थायी सम्पत्ति रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जा सकेगी।

25. **बैंक खाता :–**

(अ). संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खाता खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकलने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

(ब). बैंक ऋण :– सस्था उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करेंगी। जिसका भुगतान संस्था द्वारा बैंक नियमों के अनुसार किया जायेगा।

26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :–** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियो द्वारा वार्षिक बैठक बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. **विवाद :–** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगें। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

सूचना के अधिकार अंतर्गत छाया प्रति
लोक सूचना अधिकारी
एवं निरीक्षक
फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल
नर्मदापुरम् संभाग

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | संयुक्त सचिव

प्रारुप–एक
देखिये नियम 3
समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन–पत्र(संशोधित)

1. समिति का नाम :– **पेंचव्हेली जनकल्याण एवं शिक्षा समिति** होगा।

2. समिति का कार्यालय :– **द्वारा सुनील उईके, म.न. 227, भीमसेन, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा(मध्यप्रदेश)** में स्थित होगा।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– **सम्पूर्ण भारतवर्ष** होगा।

4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

1. राष्ट्रीय एकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय शांति ओर अंधुत्व की सदभावना का विकास करना एवं प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं को पचमढ़ी व पाताल कोट जैसी पर्यटन स्थलों पर पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देकर सहासी बनाना।
2. कार्यक्षेत्र के निवासियों, कारीगरों, मजदूरों, कृषकों का सामाजिक, नैतिक, अध्यात्मिक, शैक्षणिक, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास करना व उनमें आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।
3. खादी ग्रामोद्योग/खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,/कमीशन, समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि विभागों, द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के द्वारा समाज के लोगों को लाभांवित करना।
4. ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई कढ़ाई एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र खोलना व प्रशिक्षण देना एवं स्वसहायता समूह का गठन कर स्वरोजगार से जोड़ना।
5. क्षेत्र की जनता के लिए रचनात्मक कार्यो का आयोजन करते हुए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियांवयन करना एवं चैरिटेबिल अस्पतालों की स्थापना करना।
6. गांधी विचार धारा के अंतर्गत साहित्य का प्रचार व प्रसार करना व कृषि संबंधी खादों एवं दवाओं की निःशुल्क व्यवस्था करना/नशामुक्ति केन्द्र का संचालन करना।
7. महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिला हिंसा का अंत करना एवं देश के विभिन्न भागों के युवा वर्ग के लोगों में सम्पर्क बढ़ाने के विशेष प्रयत्न करना।
8. महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराके उनका सर्वांगीण विकास करना।
9. आदिम जाति(आदिवासी क्षेत्रों) एवं पिछड़ी जाति के लोगों का उत्थान हेतु प्रयत्न करना एवं छुआ छूत अंधविश्वास आदि दुर्भावनाओं को समाज से बाहर करना।
10. पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम चलाना। केन्द्र तथा राज्य शासन के अलग विभागों से समन्वय स्थापित कर उनके कार्यक्रमों को युवा मंडल के माध्यम से क्रियांवित करना ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति लाभन्वित हो सके।
11. समाज द्वारा उपेक्षित बुजुर्गो के लिए आवास की व्यवस्था, वृद्धा आश्रम एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
12. शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए स्कूल का संचालन करना।
13. सभी आसक्त बच्चों, विशेष रूप से आसक्त बालिकाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन एवं आसक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण देना।
14. विस्तृत स्तर पर विशेष शिक्षा तथा पुर्नवास में अनुसंधान को प्रोत्साहन।
15. ग्रामीण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करना।
16. विभिन्न विदेशी विद्यालयों के एवं विश्व बैंक के सहयोग से पुर्नवास विज्ञान(शोध संस्थान व कार्यक्रमों) हेतु विद्यालय की स्थापना करना।
17. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। औपचारिक और अनौपचारिक सामूहिक शिक्षा के अर्थपूर्ण कार्यक्रम।
18. स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को नई दिशा देना एवं युवा वर्ग मे निजी रोजगार के लिए हुनर का विकास करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | संयुक्त सचिव

4. समिति के प्रबंध विनिमयों का समिति कार्यो का प्रबंध शासक परिषद्, संचालकों सभा या शासी निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है:–

क्र	नाम एवं पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
01	श्री सुनील उइके पिता श्री समरसिंह उइके	अध्यक्ष	227, भीमसेन परासिया, जिला छिंदवाड़ा	बैरोजगार
02	श्रीमती रंजीता पाल पति श्री संतोष पाल	उपाध्यक्ष	66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार, बैतूल	बैरोजगार
03	श्री संतोष पाल पिता श्री रामरतन पाल	सचिव	66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार, बैतूल	बैरोजगार
04	श्री पंकज साबले पिता श्री साहेबराव साबले	कोषाध्यक्ष	जे.एम.–51/2, सेक्टर–ए, लिटिल फ्लावर स्कूल के पास, साकेत नगर, भोपाल	बैरोजगार
05	श्रीमती पुष्पलता साबले पति श्री पंकज साबले	संयुक्त सचिव	जे.एम.–51/2, सेक्टर–ए, लिटिल फ्लावर स्कूल के पास, साकेत नगर, भोपाल	बैरोजगार
06	श्री राजेश डेहरिया पिता श्री सबई डेहरिया	सदस्य	171, वार्ड–19, परासिया, जिला छिंदवाड़ा	बैरोजगार
07	श्रीमती रीता उइके पति श्री सुनील उइके	सदस्य	227, भीमसेन परासिया, जिला छिंदवाड़ा	बैरोजगार

5. समिति के इस ज्ञापन–पत्र के साथ समिति के विनिमयों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न हैं।

हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे है, समिति का निर्माण उपरोक्त, ज्ञापन–पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन–पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्र.	नाम	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
01	श्री सुनील उइके पिता श्री समरसिंह उइके	227, भीमसेन परासिया, जिला छिंदवाड़ा	अधोहस्ताक्षर
02	श्रीमती रंजीता पाल पति श्री संतोष पाल	66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार, बैतूल	अधोहस्ताक्षर
03	श्री संतोष पाल पिता श्री रामरतन पाल	66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार, बैतूल	अधोहस्ताक्षर
04	श्री पंकज साबले पिता श्री साहेबराव साबले	जे.एम.–51/2, सेक्टर–ए, लिटिल फ्लावर स्कूल के पास, साकेत नगर, भोपाल	अधोहस्ताक्षर
05	श्रीमती पुष्पलता साबले पति श्री पंकज साबले	जे.एम.–51/2, सेक्टर–ए, लिटिल फ्लावर स्कूल के पास, साकेत नगर, भोपाल	अधोहस्ताक्षर
06	श्री राजेश डेहरिया पिता श्री सबई डेहरिया	171, वार्ड–19, परासिया, जिला छिंदवाड़ा	अधोहस्ताक्षर
07	श्रीमती रीता उइके पति श्री सुनील उइके	227, भीमसेन परासिया, जिला छिंदवाड़ा	अधोहस्ताक्षर

साक्षी हस्ताक्षर – अधोहस्ताक्षर

नाम – सुशील प्रजापति

पता – 168, ग्रीनपार्क कालोनी,

बैरसिया रोड, भोपाल(म.प्र.)

अध्यक्ष　　सचिव　　कोषाध्यक्ष　　संयुक्त सचिव

नियमावली संशोधित

1. समिति का नाम :– **पेंचव्हेली जनकल्याण एवं शिक्षा समिति** होगा।
2. समिति का कार्यालय :– **द्वारा सुनील उईके, म.न. 227, भीमसेन, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा(मध्यप्रदेश)** में स्थित होगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– **सम्पूर्ण भारतवर्ष** होगा।
4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे –

1. राष्ट्रीय एकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय शांति ओर अंधुत्व की सदभावना का विकास करना एवं प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं को पचमढ़ी व पाताल कोट जैसी पर्यटन स्थलों पर पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देकर सहासी बनाना।
2. कार्यक्षेत्र के निवासियों, कारीगरों, मजदूरों, कृषकों का सामाजिक, नैतिक, अध्यात्मिक, शैक्षणिक, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास करना व उनमें आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।
3. खादी ग्रामोद्योग/खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,/कमीशन, समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि विभागों, द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के द्वारा समाज के लोगों को लाभांवित करना।
4. ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई कढ़ाई एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र खोलना व प्रशिक्षण देना एवं स्वसहायता समूह का गठन कर स्वरोजगार से जोड़ना।
5. क्षेत्र की जनता के लिए रचनात्मक कार्यो का आयोजन करते हुए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियांवयन करना एवं चैरिटेबिल अस्पतालों की स्थापना करना।
6. गांधी विचार धारा के अंतर्गत साहित्य का प्रचार व प्रसार करना व कृषि संबंधी खादों एवं दवाओं की निःशुल्क व्यवस्था करना/नशामुक्ति केन्द्र का संचालन करना।
7. महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिला हिंसा का अंत करना एवं देश के विभिन्न भागों के युवा वर्ग के लोगों में सम्पर्क बढ़ाने के विशेष प्रयत्न करना।
8. महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराके उनका सर्वागीण विकास करना।
9. आदिम जाति(आदिवासी क्षेत्रों) एवं पिछड़ी जाति के लोगों का उत्थान हेतु प्रयत्न करना एवं छुआ छूत अंधविश्वास आदि दुर्भावनाओं को समाज से बाहर करना।
10. पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम चलाना। केन्द्र तथा राज्य शासन के अलग विभागों से समन्वय स्थापित कर उनके कार्यक्रमों को युवा मंडल के माध्यम से क्रियांवित करना ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति लाभन्वित हो सके।
11. समाज द्वारा उपेक्षित बुजुर्गो के लिए आवास की व्यवस्था, वृद्धा आश्रम एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
12. शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए स्कूल का संचालन करना।
13. सभी आसक्त बच्चों, विशेष रूप से आसक्त बालिकाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन एवं आसक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण देना।
14. विस्तृत स्तर पर विशेष शिक्षा तथा पुर्नवास में अनुसंधान को प्रोत्साहन।
15. ग्रामीण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करना।
16. विभिन्न विदेशी विद्यालयों के एवं विश्व बैंक के सहयोग से पुर्नवास विज्ञान(शोध संस्थान व कार्यक्रमों) हेतु विद्यालय की स्थापना करना।
17. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। औपचारिक और अनौपचारिक सामूहिक शिक्षा के अर्थपूर्ण कार्यक्रम।
18. स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को नई दिशा देना एवं युवा वर्ग मे निजी रोजगार के लिए हुनर का विकास करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | संयुक्त सचिव

सदस्यता :–संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगे।

अ). **संरक्षक सदस्य**– संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप मे 1000/– रुपये या अधिक एकमुश्त या एक साल के अन्दर बारह किश्तो मे देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

ब). **आजीवन सदस्य**– जो व्यक्ति संस्था को दान के रुप मे रुपये 500/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 500/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

स). **साधारण सदस्य**– जो व्यक्ति रुपये 10/– माह रुपये 120/– प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रुप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणो के छः माह तक देय चन्दा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

द). **सम्मानीय सदस्य**– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझें, सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

6. **सदस्यता की प्राप्ति** :– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबन्धकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार प्रबंधकारिणी को होगा।

7. **सदस्यता की योग्यताएँ** :–संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है।

1). आयु 18 वर्ष से कम न हो।

2). भारतीय नागरिक हो।

3). समिति के नियमो को पालन करने की प्रतिज्ञा की हो।

4). सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. **सदस्यता की समाप्ति** :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति मे समाप्त हो जावेगी:–

1). मृत्यु हो जाने पर।

2). पागल हो जाने पर।

3). संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।

4). त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।

5). चरित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप से देना होगी।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | संयुक्त सचिव

संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे :–

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।
2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद क्र.।
3. वह तारीख जिसमे सदस्या समाप्त हुई हो।

10. **अ. साधारण सभा**– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एकबार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर 15 दिवस पूर्व सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/3 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थागित कर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन निश्चित समय में नही किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में कराकर उसमें पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

ब. प्रबंधकारिणी सभा– प्रंबधकाारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी को प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थागित कर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

स. विशेष– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाई जावेगी। विशेप संकल्प पारित हो जाने संकल्प की एक प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण एवं प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) संस्था की स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना। (घ) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं को आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रवंधकारिणी का गठन :–** ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ. ब. स.) मे दर्शाए गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा :–

1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. सचिव 4. कोषाध्यक्ष 5. संयुक्त सचिव एवं सदस्य–2

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष संयुक्त सचिव

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल :–** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। समिति का यथेप्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नयी प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणो से नही हो जाता कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :–**

अ). जिन उद्देश्यो के प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

ब). पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

स). समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों आदि का भुगतान करना संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

द). कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

इ). अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।

च). संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

छ). संस्था द्वारा कोई भी स्थायी सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नही की जायेगी।

ज). विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/2 मत सें संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार :–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों पर निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार :–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेंगा।

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार :–

1). साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।

2). समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

3). समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरिक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

4). सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 1000/– खर्च करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष संयुक्त सचिव

18. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

19. **संयुक्त सचिव के अधिकार** :– सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

20. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी बैंक या पोस्ट आफिस में रहेंगी। धन का अहारण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिक रूपये 500/– रहेंगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक सें 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी, तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

22. **संशोधन** :– संस्था के विधान साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

23. **विघटन** :– संस्था विघटन साधारण सभा की बैठक मे कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौप दी जावेगी।

24. **सम्पत्ति** :– संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल स्थायी सम्पत्ति रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जा सकेगी।

25. **बैंक खाता** :–

(अ). संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खाता खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकलने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

(ब). बैंक ऋण :– सस्था उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करेंगी। जिसका भुगतान संस्था द्वारा बैंक नियमों के अनुसार किया जायेगा।

26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियो द्वारा वार्षिक बैठक बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. **विवाद** :– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगें। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | संयुक्त सचिव

पेंचव्हेली जनकल्याण एवं शिक्षा समिति

तुलनात्मक पत्रक

क्र.	नियम क्र.	पूर्व नियम	वर्तमान नियम
01.	02.	संस्था का कार्यालय :– 66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार, बैतूल, तहसील बैतूल, जिला बैतूल मे स्थित होगा	संस्था का कार्यालय :– द्वारा सुनील उईके, म.न. 227, भीमसेन, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा मे स्थित होगा
01.	03.	संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा	संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा
02.	23(ब)	पूर्व मे अपलिखित	(ब). बैंक ऋण :– सस्था उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करेंगी। जिसका भुगतान संस्था द्वारा बैंक नियमों के अनुसार किया जायेगा।

परिणाम

1. नियम क्र. 2 के अनुसार संस्था का कार्यालय अन्यत्र परिवर्तित होने के कारण कार्यालय का पता परिवर्तित किया गया है।
2. नियम क्र. 3 के अंतर्गत संस्था समाज कल्याण के क्षेत्र मे व्यापक कार्य करने के कारण कार्यक्षेत्र को भारतवर्ष किया गया।
3. नियम क्र. 25(ब) के अंतर्गत बैंक द्वारा ऋण प्राप्त कर उद्देश्य पूर्ति करने के लिये।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | संयुक्त सचिव

कार्यकारिणी बैठक

पूर्व जारी सूचना के अनुसार आज दिनांक 05/09/2010 को सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक कोरम पूरा है बैठक की अध्यक्षता श्री हरीवर्मा ने की, बैठक में निम्न पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अपनी उपस्थिति प्रदान की :–

श्री हरीवर्मा

श्रीमती रीता

श्री सुनील उइके

श्री अरविंद सिंह खंडूजा

श्री राजेश डेहरिया

श्रीमती शिवकुमारी

श्री सुरजीत सिंह खंडूजा

सचिव महोदय ने पूर्व में जारी एजेंडा पढ़कर सुनाया और जिसके अंतर्गत समिति विधान में संशोधन किये जाने पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने का अनुरोध किया।

प्रस्ताव– समिति के विधान में संशोधन किया गया जो कि निम्न प्रकार है:–

1. नियमावली नियम क्र. 02 के अनुसार संस्था कार्यालय के पूर्व के पते के स्थान पर कार्यालय का नवीन पता द्वारा सुनील उईके, म.न. 227, भीमसेन, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा मे स्थित होगा।
2. नियमावली नियम क्रमांक 03 के अनुसार संस्था के पूर्व कार्यक्षेत्र के स्थान पर संपूर्ण भारतवर्ष होगा।
3. नियम क्रमांक 23 के अंतर्गत नियम को सम्मिलित किया गया (ब). बैंक ऋण :– सस्था उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करेंगी। जिसका भुगतान संस्था द्वारा बैंक नियमों के अनुसार किया जायेगा।

ठहराव– बैठक में रखे गये उपरोक्त संशोधन प्रस्ताव को बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर सहमति प्राप्त की गयी। सहमति प्राप्त कर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव श्री सुनील उइके के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया, साथ ही नियमानुसार साधारण सभा आयोजित किये जाने का निर्णय भी लिया गया। अन्य प्रस्ताव विचारार्थ न होने कारण सभा समापन की घोषणा अध्यक्ष महोदय की सहमति प्राप्त कर की गयी।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | संयुक्त सचिव

साधारण सभा

पूर्व जारी सूचना के अनुसार आज दिनांक 10/10/2010 को सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय में साधारण सभा का आयोजन किया गया है। बैठक कोरम पूरा है सभा की अध्यक्षता श्री हरीवर्मा जी ने की, बैठक में निम्न पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अपनी उपस्थिति प्रदान की :–

श्री हरीवर्मा
श्रीमती रीता
श्री सुनील उइके
श्री अरविंद सिंह खंडूजा
श्री राजेश डेहरिया
श्रीमती रंजीता
श्री संतोष पाल
श्रीमती पुष्पलता
श्री पंकज सांवले
श्रीमती शिवकुमारी
श्री सुरजीत सिंह खंडूजा

सचिव महोदय ने पूर्व में जारी एजेंडा पढ़कर सुनाया और जिसके अंतर्गत समिति विधान में संशोधन किये जाने पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने का अनुरोध किया।

प्रस्ताव– समिति के विधान में संशोधन किया गया जो कि निम्न प्रकार हैः–

1. नियमावली नियम क्र. 02 के अनुसार संस्था कार्यालय के पूर्व के पते के स्थान पर कार्यालय का नवीन पता द्वारा सुनील उईके, म.न.227, भीमसेन, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा मे स्थित होगा।
2. नियमावली नियम क्रमांक 03 के अनुसार संस्था के पूर्व कार्यक्षेत्र के स्थान पर संपूर्ण भारतवर्ष होगा।
3. नियम क्रमांक 23 के अंतर्गत नियम को सम्मिलित किया गया (ब). बैंक ऋण :– सस्था उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करेंगी। जिसका भुगतान संस्था द्वारा बैंक नियमों के अनुसार किया जायेगा।

ठहरावः– बैठक में रखे गये उपरोक्त संशोधन प्रस्ताव को बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर सहमति प्राप्त की गयी। सहमति प्राप्त कर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव श्री सुनील उइके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया, साथ ही नियमानुसार विशेष साधारण सभा आयोजित किये जाने का निर्णय भी लिया गया। अन्य प्रस्ताव विचारार्थ न होने कारण सभा समापन की घोषणा अध्यक्ष महोदय की सहमति प्राप्त कर की गयी।

अध्यक्ष　　सचिव　　कोषाध्यक्ष　　संयुक्त सचिव

पेंचव्हेली जनकल्याण एवं शिक्षा समिति

तुलनात्मक पत्रक

क्र.	नियम क्र.	पूर्व नियम	वर्तमान नियम
01.	02.	संस्था का कार्यालय :– 66, मोती वार्ड, गोठी कालोनी, चक्कर रोड, कोठी बाजार, बैतूल, तहसील बैतूल, जिला बैतूल मे स्थित होगा	संस्था का कार्यालय :– द्वारा सुनील उईके, म.न. 227, भीमसेन, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा मे स्थित होगा
01.	03.	संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा	संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा
02.	23(ब)	पूर्व मे अपलिखित	(ब). बैंक ऋण :– सस्था उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करेंगी। जिसका भुगतान संस्था द्वारा बैंक नियमों के अनुसार किया जायेगा।

परिणाम

1. नियम क्र. 2 के अनुसार संस्था का कार्यालय अन्यत्र परिवर्तित होने के कारण कार्यालय का पता परिवर्तित किया गया है।
2. नियम क्र. 3 के अंतर्गत संस्था समाज कल्याण के क्षेत्र मे व्यापक कार्य करने के कारण कार्यक्षेत्र को भारतवर्ष किया गया।
3. नियम क्र. 25(ब) के अंतर्गत बैंक द्वारा ऋण प्राप्त कर उद्देश्य पूर्ति करने के लिये।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | संयुक्त सचिव

कार्यकारिणी बैठक

पूर्व जारी सूचना के अनुसार आज दिनांक 05/09/2010 को सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक कोरम पूरा है बैठक की अध्यक्षता श्री हरीवर्मा ने की, बैठक में निम्न पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अपनी उपस्थिति प्रदान की :–

श्री हरीवर्मा

श्रीमती रीता

श्री सुनील उइके

श्री अरविंद सिंह खंडूजा

श्री राजेश डेहरिया

श्रीमती शिवकुमारी

श्री सुरजीत सिंह खंडूजा

सचिव महोदय ने पूर्व में जारी एजेंडा पढ़कर सुनाया और जिसके अंतर्गत समिति विधान में संशोधन किये जाने पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने का अनुरोध किया।

प्रस्ताव– समिति के विधान में संशोधन किया गया जो कि निम्न प्रकार है:–

1. नियमावली नियम क्र. 02 के अनुसार संस्था कार्यालय के पूर्व के पते के स्थान पर कार्यालय का नवीन पता द्वारा सुनील उईके, म.न. 227, भीमसेन, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिंदवाडा मे स्थित होगा।
2. नियमावली नियम क्रमांक 03 के अनुसार संस्था के पूर्व कार्यक्षेत्र के स्थान पर संपूर्ण भारतवर्ष होगा।
3. नियम क्रमांक 23 के अंतर्गत नियम को सम्मिलित किया गया (ब). बैंक ऋण :– सस्था उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करेंगी। जिसका भुगतान संस्था द्वारा बैंक नियमों के अनुसार किया जायेगा।

ठहराव– बैठक में रखे गये उपरोक्त संशोधन प्रस्ताव को बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर सहमति प्राप्त की गयी। सहमति प्राप्त कर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव श्री सुनील उइके के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया, साथ ही नियमानुसार साधारण सभा आयोजित किये जाने का निर्णय भी लिया गया। अन्य प्रस्ताव विचारार्थ न होने कारण सभा समापन की घोषणा अध्यक्ष महोदय की सहमति प्राप्त कर की गयी।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | संयुक्त सचिव

साधारण सभा

पूर्व जारी सूचना के अनुसार आज दिनांक 10/10/2010 को सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय में साधारण सभा का आयोजन किया गया है। बैठक कोरम पूरा है सभा की अध्यक्षता श्री हरीवर्मा जी ने की, बैठक में निम्न पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अपनी उपस्थिति प्रदान की :–

श्री हरीवर्मा

श्रीमती रीता

श्री सुनील उइके

श्री अरविंद सिंह खंडूजा

श्री राजेश डेहरिया

श्रीमती रंजीता

श्री संतोष पाल

श्रीमती पुष्पलता

श्री पंकज सांवले

श्रीमती शिवकुमारी

श्री सुरजीत सिंह खंडूजा

सचिव महोदय ने पूर्व में जारी एजेंडा पढ़कर सुनाया और जिसके अंतर्गत समिति विधान में संशोधन किये जाने पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने का अनुरोध किया।

प्रस्ताव– समिति के विधान में संशोधन किया गया जो कि निम्न प्रकार है:–

1. नियमावली नियम क्र. 02 के अनुसार संस्था कार्यालय के पूर्व के पते के स्थान पर कार्यालय का नवीन पता द्वारा सुनील उईके, म.न.227, भीमसेन, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा मे स्थित होगा।
2. नियमावली नियम क्रमांक 03 के अनुसार संस्था के पूर्व कार्यक्षेत्र के स्थान पर संपूर्ण भारतवर्ष होगा।
3. नियम क्रमांक 23 के अंतर्गत नियम को सम्मिलित किया गया (ब). बैंक ऋण :– सस्था उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करेंगी। जिसका भुगतान संस्था द्वारा बैंक नियमों के अनुसार किया जायेगा।

ठहराव:– बैठक में रखे गये उपरोक्त संशोधन प्रस्ताव को बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर सहमति प्राप्त की गयी। सहमति प्राप्त कर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव श्री सुनील उइके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया, साथ ही नियमानुसार विशेष साधारण सभा आयोजित किये जाने का निर्णय भी लिया गया। अन्य प्रस्ताव विचारार्थ न होने कारण सभा समापन की घोषणा अध्यक्ष महोदय की सहमति प्राप्त कर की गयी।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

संयुक्त सचिव

विशेष साधारण सभा

पूर्व जारी सूचना के अनुसार आज दिनांक 15/11/2010 को सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय में विशेष साधारण सभा का आयोजन किया गया है। बैठक कोरम पूरा है बैठक की अध्यक्षता श्री हरीवर्मा जी ने की, बैठक मे निम्न सदस्वों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की:–

श्री हरीवर्मा

श्रीमती रीता

श्री सुनील उइके

श्री अरविंद सिंह खंडूजा

श्री राजेश डेहरिया

श्रीमती रंजीता

श्री संतोष पाल

श्रीमती पुष्पलता

श्री पंकज सांवल

श्रीमती शिवकुमारी

श्री सुरजीत सिंह खंडूजा

सचिव महोदय ने पूर्व में जारी एजेंडा पढ़कर सुनाया और विचार

प्रस्ताव– कार्यकारिणी बैठक दिनांक 05/09/2010 व साधारण सभा दिनाक 10/10/2010 म स्वाकृत सशाधन क अनुमोदन हेतु।

ठहराव– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव महोदय के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का बैठक में उपस्थित सदस्यगणों द्वारा विचार विमर्श एवं अध्ययन करने के उपरान्त, सर्वसम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया, साथ ही नियभानुसार संशोधन प्रस्ताव तैयार कराकर रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही कराने के लिये सर्वसम्मति से समिति सचिव श्री सुनील उइके को अधिकृत किया गया।

अंततः विचारार्थ प्रस्ताव न होने के कारण अध्यक्ष अनुमति से सभा समापन की घोषणा की गयी।

अध्यक्ष　　सचिव　　कोषाध्यक्ष　　संयुक्त सचिव